

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

20¹⁰/₂₅ पत्रावली पेश हुई। बार-बार श्रावण
 डिलाने पर भी वादीगण एवं उनके अधिका
 डप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 167/2022
 अन्वय सुनीता बन्नाम इय्य सिंह दावा
 बाबत छोड़ना खातेदारी एवं न्यायी
 निवेद्याशा. अरम पैरवी अरम हाजिरी
 में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फैसल नुसार होमद बाद तममील नं.
 से कम की जाकद दाखिल रफ्तार हो।
 अतः यदुवे न्यायालय में
 सुनाया गया।